<table>
<tr>
<th>तारीख हुक्म</th>
<th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खेमसिंह जोधा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी बावड़ी)

सू.अ.अपील संख्या—ऑनलाईन अपील संख्या 353681756671950</th>
<th>नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th>
</tr>
<tr>
<td>09/06/26</td>
<td>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पंचायत शिकारपुरा, लूणी, जोधपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावड़ी) को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2026 श्रीमान शासन उप सचिव महोदय राजस्थान सरकार (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(10) राज—6/2024/8 जयपुर दिनांक 04.04.2025 की पालना में ''रास्ता खोलो अभियान'' के तहत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के क्षेत्राधिकार के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु जारी आदेश की प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करवाने व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावड़ी) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावड़ी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बावड़ी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td>
<td></td>
</tr>
</table>

RajKaj Ref No.:
22737989
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Alok Ranjan
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2026.06.09 12:23:37 IST
Reason: Approved